न्यायालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

व्यवहार प्रकीर्ण वाद सं0–115/2025

सी0एन0आर0 नं0– यू0पी0ई0टी0–010042072025

श्रीमती वासुदेवी बनाम अजीत आदि।

31.03.2026

पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित।

प्रार्थना–पत्र 7सी2, अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया।

आवेदक की ओर से प्रार्थना–पत्र 7सी2, अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त रिवीजन सायला ने आदेश दिनांक 25.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त रिवीजन दिनांक 25.05.2025 तक प्रस्तुत होना था, परन्तु सायला उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित है तथा ज्यादा चलने फिरने में असमर्थ है। आदेश दिनांक 25.02.2025 की जानकारी सर्वप्रथम अपने अधिवक्ता के पास आने से हुई, आदेश का नकल सवाल 27.05.2025 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 30.05.2025 को बनकर तैयार हुआ, जिसका रिवीजन इस न्यायालय में दिनांक 31.05.2025 को प्रस्तुत किया। इस प्रकार रिवीजन प्रस्तुत करने में मात्र एक दिन की देरी हुई है जो कि क्षमा योग्य है, जो हालत/मजबूरीवश हुई है, जिसे माफ किये जाकर रिवीजन अन्दर म्याद माना जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि रिवीजन प्रस्तुत होने में हुई एक दिन की देरी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए क्षमा किया जाकर रिवीजन अंदर म्याद माने जाने की कृपा करें।

विपक्षीगण द्वारा कागज संख्या 17सी2 के माध्यम से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम आधारहीन कारण के साथ प्रस्तुत की गयी है। वासुदेवी द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। देरी का कोई विवरण भी नहीं दिया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि रिवीजन प्रस्तुत करने में देरी किस कारण से और कब से कब तक की हुई है। केवल साधारण एवं अस्पष्ट कारणों के आधार पर देरी को माफ नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत् आदेश दिनांक 25.02.2025 की जानकारी होने के उपरांत दिनांक 27.05.2025 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु नकल सवाल डलवाया गया तथा दिनांक 30.05.2025 को आदेश की प्रति प्राप्त होने पर दिनांक 31.05.2025 को यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने की मियाद 90 दिवस है। यदि आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये लगी समयावधि को दृष्टिगत रखा जाता है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी मात्र एक दिन विलम्ब से योजित की गयी है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.31 16:19:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर सुनवाई करते समय न्यायालय को नर्म रूख़ अपनाना चाहिए। प्रार्थना–पत्र में विलम्ब का कारण प्रश्नगत आदेश की जानकारी न होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि निगरानी दाखिल करने में जो देरी हुई है, वह सद्भाविक है तथा माफ किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र 7सी2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 7सी2 मु0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। सिविल निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

अधिरोपित हर्जा नियत तिथि तक विपक्षीगण को अदा किया जाये।

तदोपरांत निगरानी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।

(दिनेश चन्द)
जनपद न्यायाधीश, एटा
JO Code UP 6538

दिनांकः 31.03.2026